

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी-1)

ज अदालत -सहायक कलेक्टर औसिया ।

जलास -रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

दी	बनाम	प्रतिवादीगण
1	जबरसिंह पुत्र श्री हरीसिंह फौत जिनके कायम मुकाम 1-(1) रतनसिंह पुत्र श्री जबरसिंह जाति राजपूत निवासी तापू तहसील औसिया जिला जोधपुर ।	2 स्वरूपकवंर पुत्री श्री पेम्पसिंह पत्नि श्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी राणावता तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 3 भवंरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति राजपूत निवासी तापू तहसील औसिया जिला जोधपुर । 3 श्री तहसीलदार साहब, औसिया ।

मुकदमा नम्बर 210/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम तापू के खसरा नम्बर 44 रकबा 36 बीघा 14 बीस्वा भूमि मे वादी को 16 बीघा 4 बीस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा बन्टवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है , मौका का कब्जा काश्त के अनुसार बन्टवारा प्रस्ताव के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड से विभाजन किया जावे तथा स्थाई निशेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की विभाजित भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बन्टवारा प्रस्ताव को इस डिक्री का भाग समझा जावे। वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करे, उपरोक्त अनुसार डिक्री जारी की जाती है ।

मुवलिग.....बाबतखर्चा मुकदमे के मय सूर व शरहको अदा करे ।

फिसदी सालाना आज की तारीख वसूलयागी तकको जारी की गई
बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 3-12-19.....

मुदई	रूपये	प्से	मुदायलाह	रूपये	प्से
अर्जी दावा कालतनामा टाम्प वजह सबूत हस्ताना वकील खर्चा गवाह फिस कमिश्नर नाब इजराह हुक्मनामा न्य			मुदायलाह स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराह हुक्मनामा मुदफरीक योग		

ट पचा खर्चे के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

सहायक कलेक्टर औसिया
सहायक कलेक्टर, औसिया

